**(By Registered Post)**

सं-भा.ति.सी.पु./52वीं वा./स्था-2/कां(जीडी) अरूण कुमार/2023- 701
कार्यालय सेनानी, 52वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल
गृह मंत्रालय/भारत सरकार
पोस्टः- प्रताप नगर, जी.टी. रोड़, न्यू अमृतसर (पंजाब) पिन-143001

दिनांकः- 05.03.24

## // कारण बताओ नोटिस //

आपको बल स्थापना दिवस परेड-2023 की समाप्ति के उपरान्त स्वीकृत दिनांक-22.11.2023 से 06.12.2023 तक 15 दिन स्पेशल अवकाश की समाप्ति के उपरान्त दिनांक 06.12.2023 (अप्रा.) से बिना किसी सक्षम अधिकारी को सूचित किये बिना अनुपस्थित हो गये, एवं 52वीं वाहिनी के ज्ञापन संख्या 6098 दिनांक-09.12.23 एवं संख्या 6233 दिनांक-21.12.23 के तहत कर्मी को अतिशीघ्र अपनी आमद 52वीं वाहिनी मुख्यालय, अमृतसर में देने हेतु निर्देशित किया गया।

2. इस वाहिनी के 'स' समवाय आउट ड्यूटी हथियार लेन-देन पंजिका के अनुसार कर्मी द्वारा अपना व्यक्तिगत हथियार व अम्युनिशन दिनांक 22.11.2023 को समय 0800 बजे 'स' समवाय कोत में सुरक्षित जमा करने के बाद स्वीकृत 15 दिन स्पेशल अवकाश (दिनांक 22.11.2023 (पूर्वा.) से 06.12.2023 (अप्रा.) तक) पर प्रस्थान किया गया है, जिसे ग्रहण करने के उपरान्त कर्मी को दिनांक-06.12.2023 (अप्रा.) को अपनी आमद 52वीं वाहिनी मुख्यालय, अमृतसर में देना अपेक्षित था, लेकिन कर्मी द्वारा निर्धारित समय पर 52वीं वाहिनी मुख्यालय, अमृतसर में अपनी आमद नहीं दी गई।

3. उक्त प्रकरण के मद्देनज़र 52वीं वाहिनी के ई-मेल संदेश संख्या-16116 दिनांक-09.12.2023 के तहत कर्मी के वेतन एवं भत्ते बन्द किये जाने हेतु केन्द्रीय अभिलेख कार्यालय, भा.ति.सी.पु.बल से अनुरोध किया गया एवं 52वीं वाहिनी के ज्ञापन संख्या 6098 दिनांक-09.12.23 एवं संख्या 6233 दिनांक-21.12.23 के तहत कर्मी को अतिशीघ्र अपनी आमद 52वीं वाहिनी मुख्यालय, अमृतसर में देने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त इस वाहिनी के पत्र संख्या-6110-12 दिनांक-11.12.2023 के अनुसार श्रीमति मिथलेश देवी (कर्मी की माताजी) से कर्मी को 52वीं वाहिनी मुख्यालय में आंमद देने हेतु निर्देशित करने बावत् अनुरोध किया गया, जिसकी प्रति थाना प्रभारी, पुलिस स्टेशन- फलावदा, तहसील- मवाना, जिला- मेरठ, उत्तर-प्रदेश एवं ग्राम प्रधान, गाँव- डाण्डुपुर, पो.ओ. -नालडु, तहसील- मवाना, जिला- मेरठ, उत्तर-प्रदेश को प्रेषित करते हुए कर्मी को उपरोक्तानुसार निर्देशित करने बावत् अनुरोध किया गया, बावजूद इसके भी कर्मी द्वारा अपनी आमद अभी तक इस वाहिनी में नहीं दी गई है।

4. उपरोक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा वाहिनी मुख्यालय में आमद देने हेतु आपके गृहनगर के पते पर लगातार पत्राचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपनी आमद वाहिनी मुख्यालय में नहीं दी गई। तत्पश्चात इस कार्यालय के APPREHENSION पत्र संख्या-08-19 दिनांक-01.01.2024 के तहत SHO, POLICE STATION- PHALAVDA, DISTT-PHALAEDA (UTTAR PRADESH) से आपको गिरफ्तार कर भा.ति.सी.पु.बल की नजदीकी ईकाई के सुपुर्द करने हेतु अनुरोध किया गया लेकिन उनके द्वारा अवगत कराया गया है किः-

> "श्रीमान जी इस नोटिस सम्बंध में अरूण कुमार के घर जाया गया तो वहा बताया गया कि वह दिनांक-08.01.2024 को अमृतसर ड्यूटी चले गया है, हस्ताक्षर करवया गया।"

5. इस कार्यालय द्वारा आपके गृहनगर के पते पर किये गये पत्राचार के माध्यम से आपको अनेक बार वाहिनी मुख्यालय में आमद देने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आपके द्वारा अपनी आमद वाहिनी मुख्यालय में नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त उक्त कर्मी के सेवा अभिलेखों की जॉच करने पर यह भी संज्ञान में आया है कि उक्त कर्मी इससे पूर्व भी कई बार अवकाश से अनुपस्थित रह चुका है। जिससे यह प्रतीत होता है कि कर्मी बल में सेवा करने का इच्छुक नहीं है।

6. आपको बल स्थापना दिवस परेड-2023 की समाप्ति के उपरान्त स्वीकृत 15 दिन स्पेशल अवकाश (दिनांक 22.11.2023 से 06.12.2023) से बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति एवं पूर्व सूचना के अनुपस्थित होने के कारणों का पता लगाने हेतु गठित न्यायिक जाँच समिति द्वारा खोजे गये तथ्यों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के गहन अध्ययन करने पर अद्योहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आप अवकाश से जानबूझकर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के दिनांक 06.12.2023(अप्राहन) से अनुपस्थित चल रहे है जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा-21 (ए) के तहत दण्डनीय अपराध होने के फलस्वरूप न्यायिक जाँच समिति की राय/निष्कर्ष, संस्तुति एवं मामले से संबंधित सभी तथ्यों के आधार पर भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम 1992 की धारा 74(2) एवं स्थाई आदेश संख्या-21/2014 दिनांक-26.06.2014 एवं संशोधन पत्र संख्या-87-100 दिनांक-12.02.202 में दिये गये प्रावधानों के तहत आपको अनुपस्थित की तिथि अर्थात् दिनांक 06.12.2023 (अप्रा.) से भा.ति.सी.पु.बल स इस कार्यालय के आदेश संख्या-311 दिनांक-30.01.2024 के तहत भा.ति.सी.पु. बल से ''भगौडा'' (Deserter) घोषित किया चुका है। लेकिन आपको ''भगौड़ा'' (DESERTER) घोषित किये जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक वाहिनी मुख्यालय में आमद नहीं दी गई है।

7. अतः उपरोक्त दर्शाये गये तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि आप भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल में सेवा करने के इच्छुक नहीं है, फिर भी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियमावली - 1994 के नियम 17 एवं 20 एवं स्थाई आदेश संख्या-21/2014 में निहित प्रावधानों के तहत आपको इस नोटिस के माध्यम से एक और मौका देते हुए यह सूचित किया जाता है कि आप इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर अपनी आमद वाहिनी मुख्यालय, 52वीं वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल (अमृतसर) में दें, अन्यथा आपके विरूद्ध भा.ति.सी.पु.बल अधिनियम एवं नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया जायेगा।

04.3.24

(रमेश भाटिया)
सेनानी
52वी वाहिनी, भा.ति.सी.पु.बल

सेवा में,

Regtl. No.-139950042 Constable/GD Arun Kumar
S/O Sh. Pratap Singh, Vill- Dandupur, P.O.- Naidu
Teh.-Mawana, Distt.-Meerut, State –Uttar Pradesh
Pincode- 250401, Mobile No.-7505732554

CBC 19112/11/0008/2425